बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 425734 पटना,दिनांक 24/05/19

ग्रा0वि0-07(सा0वा0)-01/2015

प्रेषक,

सी0पी0 खण्डूजा,

आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय :- मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी कार्यो में वनपोषकों को उत्तरजीविता के आधार पर ससमय भुगतान करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में मनरेगा अंतर्गत बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किये जा रहे हैं और इस संबंध में विभाग द्वारा SoP एवं प्रत्येक वर्ष विस्तृत दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये हैं । सामाजिक वानिकी की सफलता के लिए वृक्षारोपण कार्यो का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन के साथ-साथ वनपोषकों को मजदूरी का भी ससमय भुगतान किया जाना अतिआवश्यक है ताकि पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव में वनपोषकों की रूचि बनी रहे और पर्यावरण को भी संतुलित रखा जा सके ।

2. उल्लेखनीय है कि सामाजिक वानिकी अंतर्गत योजनाओं के प्राक्कलन में वनपोषकों का प्रावधान 5 वर्ष अर्थात 60 माह के लिए किया जाता है तथा इसको ध्यान में रखकर ही प्राक्कलन तैयार किये जाते है । ससमय वनपोषकों को मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने के कारण रोपित पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाना जहॉ कठिन हो जाता है वहीं विलम्ब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति की देयता भी बन जाती है । वर्तमान में मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी कार्यो के लिए उत्तर बिहार में 90 प्रतिशत पौधा से अधिक उत्तरजीविता होने पर 7 रूपये प्रति पौधे प्रति माह, 75-90 प्रतिशत पौधा उत्तरजीवित रहने पर 3.50 रूपये प्रति पौधे प्रति माह की दर से वनपोषकों को मजदूरी दिया जाता है । दक्षिण बिहार में 75 प्रतिशत से अधिक उत्तरजीविता होने पर 7 रूपये प्रति पौधे प्रति माह, 65-75 प्रतिशत पौधा उत्तरजीवित रहने पर 3.50 रूपये प्रति पौधे प्रति माह की दर से वनपोषकों को मजदूरी दिया जाता है । फलत: उपरोक्त के आलोक में उत्तर बिहार में 75 प्रतिशत पौधा से कम एवं दक्षिण बिहार में 65 प्रतिशत पौधा से कम उत्तरजीविता होने की स्थिति में वनपोषकों को भुगतान नहीं किया जाता है । इसके कारण सामाजिक वानिकी अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यो में वनपोषकों की रूचि में भी कमी आ जाती है और वृक्षारोपण की उत्तजीविता कुप्रभावित होने की संभावना भी बनी रहती है ।

3. उपरोक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त विभाग द्वारा मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी कार्यों में उत्तजीविता के आधार पर वनपोषकों को भुगतेय पारिश्रमिक की राशि के संबंध में निम्न संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) संपूर्ण बिहार राज्य (उत्तर एवं दक्षिण बिहार) में मनरेगा योजना अंतर्गत सामाजिक वानिकी की योजनाओं में वनपोषकों को 80 प्रतिशत से अधिक उत्तजीविता कि स्थिति में वर्तमान दर 8 मानव दिवस प्रति माह (1 वर्ष में 96 मानव दिवस) तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक उत्तजीविता की स्थिति में निम्न प्रकार से मजदूरी भुगतान अनुमान्य होगा :-

क्र0सं0	जीवित पौधा का प्रतिशत	अनुमान्य मानव दिवस	मजदुरी दर (रूपये में)	राशि
1	≥80%	8	177/-	1416/-
2	≥70% - <80%	7	177/-	1239/-
3	≥60% - <70%	6	177/-	1062/-
4	≥50% - <60%	5	177/-	885/-
5	≥40% - <50%	4	177/-	708/-

(ii) वृक्षारोपण योजनाओं को सफल बनाने के लिए सभी योजनाओं से संबंधित वनपोषकों का मस्टर रोल प्रत्येक मस्टर चक्र में जारी किया जाना एवं ससमय मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(iii) पौधों कि मृत्यु की स्थिति में वनपोषकों को मृत पौधों के स्थान पर वर्षाकाल में नये पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि उनको बेहतर उत्तरजीविता के आधार पर अधिक से अधिक मजदूरी का भुगतान संभव हो सके।

(iv) उक्त संशोधित दर पूर्व की योजनाओं के लिए भी वित्तीय वर्ष 2019-20 से मान्य होंगे।

अतः अनुरोध है कि वृक्षारोपण योजनाओं में वनपोषकों का भुगतान ससमय सुनिश्चित कराने के लिए प्रखंडवार एवं योजनावार सतत(मासिक) समीक्षा की जाय एवं भुगतान में प्रगति लायी जाए ताकि वृक्षारोपण कार्यो को सफल बनाने के साथ-साथ अधिकाधिक मानव दिवस सृजित किया जा सके ।

विश्वासभाजन

24.05.19.

(सी0पी0 खण्डूजा)

आयुक्त मनरेगा